संख्या.1/2024/I/809973/2024-46-1002(099)/2/2021

प्रेषक,

सी. इंदुमती,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

गन्ना एवं चीनी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 29 नवम्बर, 2024

विषय:- गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र मुरादाबाद के प्रशासनिक भवन, छात्रावास भवन, आवासीय भवन एवं अन्य भवनों के निर्माण की प्रशासकीय एवं प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्रांक-86/लेखा-बजट(चीनी),दिनांक 04.10.2024 द्वारा 'गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र मुरादाबाद की स्थापना के निर्माण कार्यों हेतु गत् वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू. 1200.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीतकृत धनराशि रू.750.00 लाख (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) का अदेयता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि रू.1600.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि शासन के ई.पत्रावली संख्या-46-1002(099)/2/2021-1 दिनांक 02.08.2023 द्वारा 'गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र मुरादाबाद की स्थापना के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू.1200.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू.750.00 लाख (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी थी।

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-24 (चीनी) के अन्तर्गत 'गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र मुरादाबाद की

http://shasanadesh.up.gov.in

स्थापना के निर्माण कार्यों हेतु 02.11.2022 को पी.एफ.ए.डी. द्वारा स्वीकृत आगणन की धनराशि रू. 3073.46 लाख में से केन्द्रीय वातानुकूलन हेतु धनराशि रू.77.48 लाख को हटाते हुए आगणन/लागत की धनराशि रू. 2995.98 लाख (रूपया उनतीस करोड़ पंचानवे लाख अट्ठान्नवे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि रू.1600.00 लाख के सापेक्ष कुल लागत अर्थात रू. 2995.98 लाख (रूपया उनतीस करोड़ पंचानवे लाख अट्ठान्ननवे हजार मात्र) का 35 प्रतिशत द्वितीय किश्त के रूप में रू.1048.593 लाख (रूपया दस करोड़ अड़तालीस लाख उनसठ हजार तीन सौ मात्र) को कार्यदायी संस्था उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि. लखनऊ को यथावश्यकता आहरित कर उपलब्ध कराने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>शर्तें एवं प्रतिबन्ध</u>

1. उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-।/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231-2024 दिनांक 19 जून, 2024 में दिये गये दिशा- निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उक्त. कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तकर-2(10)(ख)(।) में यह प्राविधान है कि नये निर्माण कार्य की प्रति कार्य लागत रूपये 5.00 करोड़ से अधिक है, तो वित्तीय स्वीकृति की प्रथम किश्त की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से अवमुक्त की जायेगी। निर्माण कार्य के अनुवर्ती किश्तें प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी। प्रशासकीय विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्याकता से अधिक धनराशि न हो।

प्रस्तर-**2(10)(ख)(।।।)** में यह प्राविधान है कि:-

यदि निर्माण कार्य की लागत रूपये 25.00 करोड़ से अधिक है, तो धनराशि तीन किश्तों में अवमुक्त की जाये जिसमें प्रथम किश्त, द्वितीय, तथा तृतीय किश्त क्रमश: निर्माण लागत की 35 प्रतिशत, 35 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की होगी। कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यपकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त पहली किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त तीसरी किश्त पहली किश्ती की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं दूसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले तीन-तीन माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि

http://shasanadesh.up.gov.in

कोषागार से आहरित करके दी जाय तथा बकाया 5 प्रतिशत की राशि को अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त की जाये।

प्रस्तर-2(10)(च)एवं (छ)में क्रमश: यह प्राविधान है कि:-

(च) भवन निर्माण से इतर निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 के प्राविधानों के अनुसार निर्गत की जायेंगी।

(छ) जिन निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कुर्सी क्षेत्रफल दरों/एलीवेशन एरिया दरों/मानकीकृत लागत के आधार पर निर्गत करते हुए प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है, उनमें द्वितीय एवं अगली किश्तें तभी अवमुक्त की जायें जब परियोजना का जनपद के शिड्यूल ऑफ रेट पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-4 एवं 5 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाय।

(2) आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-वी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। यथा समय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा तथा आहरण की गयी धनराशि पी. एल. ए./बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/ विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्त/ द्विरावृत्त न हो इसे विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा। इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण /सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(8) स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये। प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(9) प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्वो कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चारत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(10) किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र, मुरादाबाद को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु द्वितीय किश्त निर्गत किये जाने के पूर्व आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. सम्बन्धित प्रकरण में निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना प्राप्त करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

(11) उ.प्र. किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र, मुरादाबाद में निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति तथा गुणवत्ता के संबंध में आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ0प्र0 द्वारा अपने स्तर पर तृतीय पक्ष से निरीक्षण (Third Party Inspection) कराते हुए इसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करायेगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू.1048.593 लाख (रूपया दस करोड़ अड़तालीस लाख उनसठ हजार तीन सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 024 लेखा शीर्षक 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 108-वाणिज्यिक फसले, 03 गन्ना किसान संस्थान, मुरादाबाद, 0301-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, 24 वृहत् निर्माण कार्य (पूंजीगत) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-।/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में दी गयी व्यसवस्था/दिशा-निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

सी.इंदुमती
विशेष सचिव।

संख्या एवं तद्-दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ. प्र. प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम /द्वितीय उ. प्र. लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., विश्वैशरैया भवन लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
6. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-6
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
8. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ. प्र.।
9. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ. प्र. लखनऊ।
10. चीनी उद्योग अनुभाग-2
11. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

नूतन अग्निहोत्री
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in